छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010
(फाल्गुन-28, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07, 09, 11, 12 एवं 14 से 20 (कुल17) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 08, 10 एवं 13 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री राजकमल सिंघानिया, चैतराम साहू, भोलाराम साहू अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 5 एवं 22अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री ने वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2008-2009 पटल पर रखा।

3. उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - वर्ष 2009-2010 के लिए उत्कृष्ट संसदीय विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के चयन हेतु गठित समिति द्वारा निम्नांकित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है :-

उत्कृष्ट विधायक :

1. सत्ता पक्ष से श्री दीपक कुमार पटेल
2. प्रतिपक्ष से महंत श्री रामसुंदर दास

उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार :

1. दैनिक अमृत संदेश श्री बाबूलाल शर्मा

पुरस्कार वितरण दिनांक 25 मार्च, 2010 को सायं 7.00 बजेआयोजित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष ने अपनी ओर से एवं सदन की ओर से चयनित माननीय सदस्यों एवं पत्रकार को बधाई दी ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रामदेव राम (अनुपस्थित), श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत दवा खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री भोलाराम साहू, लेखराम साहू, सदस्य ने धमतरी जिले में राईस मिलरों द्वारा बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. जमा किये बिना धान प्राप्त किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ.सियाराम साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में बलौदा विकासखंड अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में पदस्थ कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय नही मिलने, तथा

(2) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ नगर पालिका निगम से प्रभावित पट्टेधारियों को मुआवजा राशि स्वीकृत नहीं किये जाने
संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री रविशंकर त्रिपाठी, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन, तथा

(2) डॉ.सुभाऊ कश्यप, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन,
प्रस्तुत किये।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बोधराम कंवर, सदस्य ने जिला कोरबा के विकासखण्ड कटघोरा अंतर्गत ग्राम देवगांव-कोलिहामुड़ा के बीच स्थित सलिहा नाले पर पुल निर्माण करने के संबंध में ,

(2) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य ने सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-
(i) ग्राम रतावा-लखनपुरी-पोड़गांव पहुंच मार्ग की मरम्मत एवं नाले पर पुलिया निर्माण करने,
(ii) ग्राम मुनईकला में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(iii)ग्राम लट्टीडेरा, कमारपारा-बनबगौद में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
(iv)ग्राम गट्टासिल्ली के कुम्हडाईन पहाड़ी के पास स्टापडेम निर्माण करने के संबंध में,

(3) श्री जगेश्वर राम भगत, सदस्य ने जशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पण्डरीपानी से जरहाटोली तक सड़क एवं डुड़की नदी में पुल निर्माण करने के संबंध में,

(4) श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य ने चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-
(i) विकासखण्ड दरभा के ग्राम चितापुर में हाईस्कूल खोलने,
(iii) विकासखण्ड तोकापाल के ग्राम करंजी में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने के संबंध में,

(5) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सदस्य ने सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बघौदा स्थित सोन नदी पर एनीकेट निर्माण करने के संबंध में, तथा

(6) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौदा में हाईस्कूल खोलने के संबंध में,

याचिकाएं प्रस्तुत की।

8.वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

डॉ.हरिदास भारद्वाज,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

9. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-जैसा कि हम सभी को विदित है कि हरिद्वार का कुंभ चल रहा है और इस विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का, कि हरिद्वार के कुंभ में सब स्नान करें और पुण्य प्राप्त करें ऐसी इच्छा है और उसी के साथ में महामहिम राष्ट्रपति जी से दिल्ली में मिलने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अतः मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन में सब कोई जाकर भाग लेते हैं उसी प्रकार से इस हरिद्वार के कुंभ में जाकर भाग लेंगे। अतः समस्त सदस्यों से आग्रह है कि कृपया अपनी सहमति आज सायं 4.00 बजे तक विधानसभा सचिवालय को देने का कष्ट करें।

10. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल,

(1.30 से 2.02 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, फूलचंद सिंह, शिवराज सिंह उसारे, नंदकुमार साहू,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य संपादित करने हेतु सायं 7.00 बजे तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की। तथा यह भी घोषित किया कि सायं 4.30 बजे से अशासकीय कार्य किए जाएंगे।)

श्रीमती सुमित्रा मारकोले, श्री सौरभ सिंह, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सर्वश्री दयालदास बघेल, दूजराम बौद्ध।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या 69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 81, परिवहन विभाग से संबंधित मांग संख्या 36, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-22 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-69 पर** महंत रामसुंदर दास एवं श्री धर्मजीत सिंह, **मांग संख्या-81 पर** महंत रामसुंदर दास, **मांग संख्या-36 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-21 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुदंर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, हृदयराम राठिया, गुरु रूद्रकुमार, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री टी.एस.सिंहदेव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की। (जारी..)

11. अशासकीय संकल्प

(1) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि **"छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर में इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स की शाखा खोली जाए।"**

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, ह्दयराम राठिया, दूजराम बौद्ध, श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री एवं श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प में संशोधन प्रस्तावित किया कि संकल्प में "के बिलासपुर" शब्द को विलोपित किया जाय।

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने इस हेतु सहमति व्यक्त की। तद्नुसार "छत्तीसगढ़ प्रदेश में इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स की शाखा खोली जाए।"

यथा संशोधित संकल्प सर्वानुमति से पारित हुआ।

(2) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि **"प्रदेश के प्रत्येक गांव में गौचर भूमि का निर्धारण कर सुरक्षित रखा जाय।"**

महंत श्री रामसुदंर दास ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री वीरेन्द्र कुमार साहू, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, नंदकुमार साहू, सौरभ सिंह, देवजी पटेल, दूजराम बौद्ध।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। संकल्प में संशोधन प्रस्तावित किया कि "गोचर शब्द के पहले "निर्धारित" शब्द जोड़ा जाय तथा "का निर्धारण कर" वाक्यांश के स्थान पर "को" शब्द प्रतिस्थापित किया जाय, तो वे इसे पारित करने के पक्ष में है।

महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने संशोधन पर असहमति व्यक्त की।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(3) श्री भीमा मंडावी, सदस्य (अनुपस्थित)

(4) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि **"छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकासखंड़ों को पुनः परिसीमन किया जाए।"**

श्री नारायण चंदेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, रविशंकर त्रिपाठी, देवजी पटेल, टी.एस.सिंहदेव।

श्री रामविचार नेताम, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प में संशोधन प्रस्तावित किया इस संकल्प में शब्द " का पुनः परिसीमन किया जाय" वाक्यांश के स्थान पर " को पुर्नगठन करते हुए विकास खंडों की संख्या बढ़ाई जाय" वाक्यांश जोड़ा जाए ।

श्री नारायण चंदेल, सदस्य ने इस हेतु सहमति व्यक्त की। तद्नुसार "छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकासखंड़ों को पुर्नगठन करते हुए विकासखण्ड़ो की संख्या बढ़ाई जाय।"

यथा संशोधित संकल्प सर्वानुमति से पारित हुआ।

(5)यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि **" कृषि योग्य भूमि के संरक्षण हेतु कृषि भूमि में उद्योग लगाने की अनुमति न दी जाए।"**

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, नारायण चंदेल, दूजराम बौद्ध

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री वीरेन्द्र कुमार साहू।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प में संशोधन प्रस्तावित किया कि इस संकल्प में "अनुमति न दी जाय" वाक्यांश के स्थान पर "राज्य शासन से अनुमति आवश्यक होगी" जोड़ा जाय।

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने इस हेतु सहमति व्यक्त की। तद्नुसार " कृषि योग्य भूमि के संरक्षण हेतु कृषि भूमि में उद्योग लगाने की राज्य शासन से अनुमति आवश्यक होगी।"

यथा संशोधित संकल्प सर्वानुमति से पारित हुआ।

सायं 6.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 2010 (चैत्र 1, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा